प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-233/2026 दिनांक 22.08.2026)
दिनांक-22.08.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

👉🚨फर्जी जानलेवा हमले की साजिश का थाना कप्तानगंज पुलिस ने किया पर्दाफाश, घटना में शामिल तीन आरोपी गिरफ्तार

👉🚨एक अवैध पिस्टल, एक खोखा कारतूस, एक सूजा, दो मैगजीन व दो जिन्दा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कसया डा0 अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 20.08.2026 को गोली चलने की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, एक खोखा कारतूस, एक सूजा, दो मैगजीन व दो जिन्दा कारतूस की बरामदगी की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 20.08.2026 की रात्रि करीब 10.00 बजे सीएचसी कप्तानगंज से जरिये विशेष वाहक जानकारी प्राप्त हुई है कि हॉस्पिटल में एक मरीज आया है जिसने बताया कि उसे किसी के द्वारा गोली मारी गयी है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पूछताछ किया गया तो घायल के परिजन द्वारा बताया गया कि दो व्यक्तियो द्वारा घायल गोपाल दूबे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर घायल गोपाल दूबे के पिता अमित कुमार दूबे की तहरीर सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 298/2026 धारा 109 बीएनएस बनाम सदानन्द राय पुत्र अज्ञात, निवासी बनकटा, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर, राजेश्वर यादव पुत्र शिवपूजन यादव, निवासी ग्राम सोहनी, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के पंजीकृत कर, मामले की जांच शुरू की गयी दौराने जांच यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुकदमा उपरोक्त वादी मुकदमा अमित कुमार दूबे के पुत्र गोपाल दूबे

Edit with WPS Office

(घायल) द्वारा स्वयं को गोली मारकर पुरानी रंजिश व बदले की नियत से सदानन्द राय पुत्र स्व0 धनराज राय निवासी बनकटा, थाना कप्तानगंज एवं राजेश्वर यादव पुत्र शिवपूजन यादव निवासी सोहनी, थाना कप्तानगंज को झूठे हत्या के प्रयास के मुकदमे में फंसाने की सुनियोजित साजिश रची गयी।

विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना की वास्तविकता सामने आयी कि गोपाल दूबे ने अपने साथी सत्यम तिवारी एवं सूरज यादव के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हुए स्वयं अपने पैर में सूजा धंसाया तथा अवैध पिस्टल से जमीन पर फायर कर घटना को विपक्षियों द्वारा जानलेवा हमला किये जाने का रूप देने का प्रयास किया।

इस प्रकार तीनों अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर झूठा साक्ष्य तैयार कर निर्दोष व्यक्तियों को हत्या के प्रयास के मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया था। विवेचना के दौरान व गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 109 बीएनएस को धारा 238(1),248(1),61(2),3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में तरमीम किया गया।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 298/2026 धारा 109 बीएनस तरमीम धारा 238(1), 248(1), 61(2), 3(5) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1. गोपाल दूबे उर्फ गोपाल कृष्ण दूबे पुत्र अमित दूबे उर्फ पिण्टू दूबे, निवासी सोहनी, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर उम्र करीब – 25 वर्ष
2. सत्यम तिवारी पुत्र सतीश तिवारी, निवासी सुभाष चौक, कस्बा कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर उम्र करीब – 25 वर्ष
3. सूरज यादव पुत्र धर्मेन्द्र यादव, निवासी गजरा, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर उम्र करीब – 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण –
1- एक अवैध पिस्टल, दो मैगजीन, दो जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस .32 बोर
2- घटना में प्रयुक्त Hero Splendor मोटरसाइकिल संख्या UP57BK9501 व एक सूजा

Edit with WPS Office

अभियुक्त गोपाल दूबे पुत्र पिण्टू दूबे निवासी सोहनी थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार वह गुण्डा/जिला बदर महराजगंज एवं हिस्ट्रीशीटर है। उसके विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत हैं—

1. मु0अ0सं0 002/2023, धारा 323, 325, 504 भादवि, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर
2. मु0अ0सं0 333/2025, धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर
3. मु0अ0सं0 38/2021, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर
4. मु0अ0सं0 380/2023, धारा 323, 325, 504, 506 भादवि, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर
5. मु0अ0सं0 59/2024, धारा 427, 504, 506 भादवि, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर
6. मु0अ0सं0 363/2025, धारा 333, 351(3) बीएनएस, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर
7. मु0अ0सं0 516/2025, धारा 109, 189(4), 333 बीएनएस, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर
8. काण्ड संख्या 142/2026 धारा 3(ए)/41 बिहार प्रोहिबिसन एण्ड एक्साईज एक्ट थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार

अभियुक्त सूरज यादव का आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 0195/2022, धारा 308, 323, 504 भादवि, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार राय थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
2- उ0नि0 अजीत कुमार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
3- उ0नि0 कुलदीप मौर्य थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
4- उ0नि0 आकाश गिरी थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
5- उ0नि0 विवेक कुमार पाण्डेय थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
6-उ0नि0 श्री प्रकाश राय फील्ड यूनिट प्रभारी जनपद कुशीनगर
7-उ0नि0 दीपक प्रधान फील्ड यूनिट जनपद कुशीनगर
8- हे0का0 बृजेश राय थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
9- का0 अकलेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
10- का0 मटरू यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
11- का0 राकेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

Edit with WPS Office

12- का0 धर्मेन्द्र यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
13- का0 अमरनाथ यादव फील्ड यूनिट जनपद कुशीनगर

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास आदि के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.08.2026 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 209/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोगः-
मु0अ0सं0 209/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-
साबिर अली पुत्र साहब हुसैन सा0 बसडीला बुजुर्ग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर उम्र करीब 45 वर्ष

अभियुक्त का अन्य आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 806/2015 धारा 147, 323, 336, 427, 452, 504, 506 भादवि0 थाना तरया सुजान कुशीनगर
2. मु0अ0सं0 292/2016 धारा 323, 325, 352, 452, 504, 506 भादवि0 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3. मु0अ0सं0 246/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
1. उ0नि0 आदर्श मिश्रा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2. कां0 देवब्रत मौर्या थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3. रि0कां0 सुन्दरम यादव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे

Edit with WPS Office

अभियान के क्रम में आज दिनांक-22.08.2026 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 215/2026 धारा 64(1),61(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट से संबन्धित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 215/2026 धारा 64(1), 61(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-
प्रवीन यादव पुत्र दयाशंकर यादव निवासी ग्राम गौरी जगदीश थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
1. थानाध्यक्ष श्री मनोज वर्मा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 रामसिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. का0 अजय यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास आदि के मामले में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.08.2026 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 303/2026 धारा 109/115(2)/352/351(3) /3/5 बीएनएस से सम्बधित 02 नफर वांछित अभियुक्तो को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0-303/2026 अन्तर्गत धारा 109/115(2)/352/351(3) /3/5 बीएनएस थाना नेबुआ नौरंगिया

गिरफ्तार अभियुक्त-
1. सुकुल चौहान उर्फ घुरन पुत्र चइत्तर साकिन मडारविन्दवलिया टोला बरई पट्टी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
2. झन्नन पुत्र घुरन उर्फ सुकुल साकिन मडारविन्दवलिया टोला बरई पट्टी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SHO श्री संजय दुबे थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 ब्रह्म कुमार उपाध्याय थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
3. हेड कां0 ओमकेश सरोज थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
4. कां0 चन्द्र प्रकाश मिश्र थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
5. कां0 श्रषिकेश यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
6. कां0 सुधांशु गुप्ता थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
7. महिला कांस्टेबल अंजू मौर्य थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर में वांछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.08.2026 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 52 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में-

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-120 वाहन
2. 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0 76, व्यक्ति-253
3. वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(08)
4. जनपद में कुल गिरफ्तारी– (कुल 60)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office